

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 5213
विधायक श्री के.के. श्रीवास्तव (फरवरी-मार्च, 2017)

शासन द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं की सूची:-

- (1) परिपत्र क्रमांक 166/156/1/वेआप्र/88, दिनांक 12 अप्रैल, 1988 अनुसार 9 दिन आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति।
- (2) परिपत्र क्रमांक एफ, सी-3-8/89/49, दिनांक 16 मार्च, 1989 अनुसार नसबंदी आपरेशन कराने वाले पुरुषों को छः दिन से अधिक न हो, मजदूरी, गैर प्रसव बंधीकरण कराने वाली महिला कर्मचारियों को 14 दिन एवं लूप पहनने वाली महिला कर्मचारियों को एक दिन की मजदूरी का प्रावधान है।
- (3) परिपत्र क्रमांक एफ, 5-1/1/वे.आ.प्र./95, दिनांक 2/13 जून, 1997 द्वारा दिनांक 01.01.84 के पूर्व अथवा उसके पश्चात् दैनिक वेतन भोगी महिला कर्मचारियों को 90 दिन का प्रसूति अवकाश(संवैतनिक) मिलने की स्वीकृति दी गई है।
- (4) परिपत्र क्रमांक एफ, 5-1/2013/1/3, दिनांक 07.10.2016 अनुसार मजदूरी के स्थान पर वेतनमान, वेतनवृद्धि, मंहगाई भत्ता एवं उपादान के निर्देश है।